अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

कमांक पं. 4(1) कार्मिक/क–2/अं.प्रं./2006 जयपुर दिनांक 16-04-2010

परिपत्र

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर एंव संभागीय आयुक्त सहित)।

विषयः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन के संबंध में।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.12.09 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय पर आयोजित करने के दृष्टिगत समय बद्व सारणी संलग्न कर उक्त सारणी के अनुसार लम्बित सभी संवर्गो (राज्य सेवा, मंत्रालायिक सेवा, अधीनस्थ सेवा) की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके एंव वित्तीय वर्ष 2010–2011 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करवाना सुनिश्चित करने तथा प्रगति से कार्मिक विभाग को आवश्यक रूप से अवगत कराने हेतु लिखा गया था।

समस्त प्रशासनिक विभाग एंव विभागाध्यक्षों द्वारा अब तक शेष रही बकाया वर्षो की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें शीघ्र आयोजित करवाने के संबंध में समय बद्व सारणी के अनुसार समुचित कार्यवाही कर ली गई होगी।

समस्त प्रशासनिक विभाग एंव विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि अब तक की बकाया वर्षो की एंव वर्ष 2010–2011 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें समय बद्व सारणी के अनुसार शीघ्र आयोजित हो।

(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

16/4/10.
शासन प्रमुख सचिव

18/2010